

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-03-185/2020 27/3

/पटना, दिनांक- 24.5.23

दिनांक 26.08.2020 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में सम्पन्न तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, वारसोई के अधीन Ufrail to Baluganj via Kol Tola, Ufrail Tola पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य (Tender ID-95309) के लिए दिनांक 30.06.2022 को प्राप्त निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड संबंधी कागजात की समीक्षा की गयी।

उक्त निविदा में संवेदक Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, PIN CODE-841243 (BID ID-409140) Existing Commitment शून्य (0) अंकित किया गया है जबकि एम0आई0एस0 के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई के अधीन ही Malikpur Hat to Bohar पथ में कार्य अपूर्ण है। इस पथ में बचे हुए कार्य की राशि आपके द्वारा Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया तदनुसार एस0बी0डी0 के ITB (Section-1) की कंडिका-4.8 (made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements) के आलोक में इन्हें तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करते हुए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3986, दिनांक 03.09.2020 एवं पत्रांक 251 दिनांक 15.01.2021 द्वारा निविदा में Existing Commitment शून्य (0) अंकित किये जाने के कारण संवेदक Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, PIN CODE-841243 से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा निविदा में Existing Commitment के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए कागजात/स्पष्टीकरण misleading एवं false है। तदालोक में संवेदक का स्पष्टीकरण अमान्य है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, PIN CODE-841243 (निबंधन संख्या-1190447 श्रेणी-प्रथम) को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका-11 (क) उप कंडिका-IX में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका-8 के उप कंडिका-4 (ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त संवेदक को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए काली सूची (Blacklist) में डाला जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-185/2020

2763

/पटना, दिनांक- 24.5.23

प्रतिलिपि- संवेदक Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, PIN CODE-841243 (निबंधन संख्या-1190447 श्रेणी-प्रथम) को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 24/5/23

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-185/2020

2763

/पटना, दिनांक- 24.5.23

प्रतिलिपि-सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 24/5/23

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-185/2020

2763

/पटना, दिनांक- 24.5.23

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 24/5/23

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-03-185/2020

2763

/पटना, दिनांक- 24.5.23

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 24/5/23